

## अनुसूचित जाति/जनजाति अत्या.निवा.अधिनियम अंतर्गत राहत योजना

### उद्देश्य :-

अनुसूचित जाति/जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 का उद्देश्य ऐसे जरूरत मंद अनु.जाति/जनजाति परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाना है । जो संवर्ण वर्ग के किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा उत्पीड़ित है । एवं जो अपनी निर्धनता एवं असहाय अवस्था के कारण संकटापन स्थिति में है । और जिन्हें तत्संबंधी जरूरत पूरी करने के लिए शासन की किसी योजना अथवा अन्य किसी स्रोत से तुरंत आर्थिक सहायता मिलने की संभावना न हो ।

### प्रावधान :-

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों/परिवारों को इस नियम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी ।

### कौन लाभ ले सकता है :-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग अंतर्गत ही राहत प्राप्त हो सकती है ।

### योजना का लाभ कैसे ले :- जैसे -

1. किससे संपर्क करें। विकास खण्ड स्तर पर थाना प्रभारी ।
2. आवेदन प्रारूप कहां से प्राप्त करें। जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय
3. आवेदन करने का तरीका । आ.जा.क. थाना
4. आवश्यक दस्तावेज। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र

सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास डिण्डौरी  
जिला डिण्डौरी